दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ
खाद्य संरक्षा विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
आठवां तल, मयूर भवन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–01
दूरभाष संख्या 23413488, e-mail ID:cfss.delhi@nic.in

सं०फा० 01(3)/डीओ–1/2012 /10503 - 10521 **दिनांक:** 25/3/15

अधिसूचना

जबकि, गुटका, पान मसाला सुगन्धित/सुवासित तम्बाकू, खर्रा और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जिनमें तम्बाकू है, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ग्राहकों के स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुंचा सकते हैं और ये आने वाली भावी पीढ़ियों की जैविक संरचना में परिवर्तन करके उन पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकते हैं;

जबकि, तम्बाकू, चाहे सुस्वाद, सुगन्धित हो या अन्य घटकों जैसे निकोटीन, भारी धातु, एन्टी–केकिंग एजेंट (घटकों के रूप में विशेष रूप से अनुमत्त सीमा तक) चांदी के वर्क बाइंडर्स की सुस्वाद सुगन्ध, सुगन्ध, प्रतिबंधित रसायन के साथ मिश्रित किया गया हो या इन घटकों में से कोई एक (उक्त घटक इसके बाद सामूहिक रूप से या अलग रूप से जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो, उक्त व्यसन के रूप में संदर्भित है) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 के खंड (ञ) के अन्तर्गत "खाद्य पदार्थ" है;

जबकि, केन्द्र सरकार ने तम्बाकू और निकोटिन वाले उत्पादों को खाद्य संरक्षा एवं मानक (निषेद्य तथा बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम, 2.3.4 तथा खाद्य संरक्षा मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन), विनियम, 2011 के विनियमों 3.1.7 के अन्तर्गत एंटी केकिंग एजेंट (विस्तारित अनुमति से परे) में प्रतिबंधित किया है;

जबकि, उक्त खाद्य पदार्थों का उपभोग मानव स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के लिए हानिकारक होगा औरजबकि इन खाद्य पदार्थों को बिना प्रतिबन्ध के अनुमत किया जाता है तो ऐसा करना वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की तंदुरूस्ती से समझौता होगा ;

जबकि, कानून के अधीन तथा जनस्वास्थ्य के हित में ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु आयुक्त, खाद्य संरक्षा उत्तरदायी है और जबकि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2)(क) के अन्तर्गत यह आदेश करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत है;

के के सिन्दल

अब इसलिए, खाद्य संरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी, आयुक्त (खाद्य संरक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए तम्बाकू के विनिर्माण, भंडार वितरण या बिक्री का जन स्वास्थ्य के हित में प्रतिबन्धित करता हूँ जो उक्त व्यवसन में किसी के साथ या तो सुगन्धित, सुवासित या मिश्रित की गई हो और चाहे गुटका, पान मसाला, सुगंधित, सुवासित तम्बाकू या खर्र के नाम से या रूप में हो या अन्यथा किसी भी नाम से पुकारा जाए चाहे यह पैकेज में हो या बिना पैकेज के हो तथा/अथवा एक उत्पाद के रूप में बेची गई हो, अथवा पैकेज में अलग उत्पादों के रूप में बेची या वितरित इस प्रकार से की जाए ताकि सेवन करने के लिए उपभोक्ता द्वारा सुविधापूर्वक मिलाया जा सके।

के के जिन्दल

(के.के. जिन्दल, आईएएस)
आयुक्त(खाद्य संरक्षा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्याः एफ 1.(3)/डीओ–1/खा.सु.वि./2012/10503-10521 दिनांकः 25/3/15

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसरितः

1. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली
3. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–02
4. आयुक्त, दिल्ली पुलिस, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली–02
5. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, उत्तर/दक्षिण, सिविक सेन्टर दिल्ली
6. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, पूर्व, डी.एस.आई.डी.सी. काम्प्लैक्स, कड़कड़डूमा, दिल्ली
7. सभापति, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली
8. मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली
9. सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली
10. आयुक्त, खाद्य संरक्षा, खाद्य संरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली
11. आयुक्त व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, आईपीइस्टेट, दिल्ली
12. आयुक्त (आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एल–ब्लॉक, विकास भवन, आईपीइस्टेट, नई दिल्ली

13. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

14. सभी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली

15. प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली

16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली

17. सभी अभिहित अधिकारी/खाद्य संरक्षा अधिकारी, खाद्य संरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली

18. उप–सचिव, समन्वय शाखा, (सा.प्र.वि.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को (दो प्रतियों में) दिल्ली राजपत्र भाग चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

19. गार्ड फाईल।

के के जिन्दल

(के0के0जिंदल)
आयुक्त, खाद्य संरक्षा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,